जाति प्रमाण-पत्र

मैं पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि :—

१— श्री / श्रीमती / कुमारी .... कदम कोल ....

पुत्र / पुत्री / पत्नी .... भाऊ मुकुन्द .... का

स्थाई निवास ग्राम देवलखेडी तहसील हुजूर जिला — भोपाल .... है।

२— श्री / श्रीमती / कुमारी .... मोहर सिंह ....

जाति .... कोली .... है। और उनकी उपजाति .... कोली (कोरवाह) ....

उनका धर्म .... हिन्दू .... हैं। जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

2/5/82

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम .... नायब तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी, तहसील हुजूर, (भोपाल)

नोट— यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा छात्रवृति मुख्यतः सप्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती हैं कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम एवं पद की मुहर अवश्य लगाये।

जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम है।

१– संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य

२– जिला कलेक्टर

३– परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें

४– उपसंचालक, आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास–पिछड़ा वर्ग कल्याण

५– जिला संयोजक, जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास–पिछड़ा वर्ग कल्याण

६– विकास खंड अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

७- दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)

८– म्युनिसपल कौसलर

९- तहसीलदार / नायब तहसीलदार

१०– जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत एवं न्याय पचायत के सरपंच

११- मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण, हरिजन विकास–पिछड़ा वर्ग कल्याण

शान्ति निकेतन, भोपाल फोन : ५४३७९०